

कार्यालय :- प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम (म0प्र0)

//आदेश//

क्रमांक 111 /दो-11-17/23

नर्मदापुरम,दिनांक 02/02/24

में रामकुमार चौबे, प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम कार्यविभाजन आदेश वर्ष 2023 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन प्रतिस्थापित करता हूँ :-

अ- पेज क्रमांक 16 एवं 17 की कंडिका 28 प्रथम जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश, पिपरिया के समक्ष कॉलम 4 की कंडिका 15 के पश्चात कंडिका 16 निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जाती है :-

16- तहसील पिपरिया एवं पचमढ़ी के क्षेत्राधिकार में दुर्घटना घटित हुई हो अथवा आवेदक/अनावेदक निवास करता हो, के मोटर दुर्घटना दावा अधिनियम 1938 तथा 1988 के अधीन मोटर दुर्घटना के समस्त दावा प्रकरण।

ब- पेज क्रमांक 16 एवं 17 की कंडिका 29 द्वितीय जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश, पिपरिया के समक्ष कॉलम 4 की कंडिका 6 के पश्चात कंडिका '6-अ' निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जाती है :-

6-अ - तहसील बनखेड़ी के क्षेत्राधिकार में दुर्घटना घटित हुई हो अथवा आवेदक/अनावेदक निवास करता हो, के मोटर दुर्घटना दावा अधिनियम 1938 तथा 1988 के अधीन मोटर दुर्घटना के समस्त दावा प्रकरण।

sd/-

(रामकुमार चौबे)

प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नर्मदापुरम (म0प्र0)